

न्यायालय:-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-766/09

संस्थित दिनांक 10.12.2009

फाईलिंग क्र.234503000522009

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला-बालाघाट

- - - - - अभियोजन

- / / **विरुद्ध** / / -

1-देवरिया पिता बिसाहू टेकाम, उम्र-55 वर्ष
निवासी-ग्राम बिरवा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-कमलीबाई पति समारू टेकाम, उम्र-30 वर्ष,
निवासी-ग्राम बिरवा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-संतूराबाई पति देवरिया टेकाम, उम्र-50 वर्ष,
निवासी-ग्राम बिरवा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपीगण

- / / / **निर्णय** / / / -
(आज दिनांक-05/08/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.12.2009 की रात्रि करीब 9:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम बिरवा में आहत चैनसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत चैनसिंह को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारकर उसके दाएं कंधे में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चैनसिंह के परिवार के साथ आरोपी देवरिया के परिवार का घरेलु सामान को लेकर विवाद चल रहा था। दिनांक-03.12.09 को रात्रि 9:30 बजे आरोपीगण एक राय होकर आए और फरियादी के घर के सामने जाकर गाली-गुफ्तार कर फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट करने लगे, जिससे फरियादी चैनसिंह के कंधे में फ्रेक्चर हो गया तथा मस्तिष्क में साधारण चोट लगी थी। उक्त घटना रिपोर्ट की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 68/09

धारा 325/34 भा.द.वि. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के बयान लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण के विरुद्ध धारा 325/34 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर आरोपीगण के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपीगण के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-03.12.2009 की रात्रि करीब 9:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम बिरवा में आहत चैनसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत चैनसिंह को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारकर उसके दाएं कंधे में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत चैनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि आरोपी देवरिया उसका बहनोई लगता है। आरोपी कमलीबाई उसकी भांजी तथा आरोपी संतुराबाई उसकी बहन लगती है। घटना पिछले वर्ष नवम्बर या दिसम्बर माह की है। घटना रात्रि के 7-8 बजे की है। आरोपीगण से उसका 9-10 वर्ष से घरेलू सामान को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन किसानी सामान को लेकर उसकी अपनी पत्नी के साथ बातचीत हो रही थी। उसी बात को सुनकर आरोपीगण उसे मारने उसके घर आ गए। आरोपीगण उसके घर से अपने घर आए थे। उनका घर खेत से लगा हुआ है। पहले आरोपी देवरिया और कमलीबाई आए और आरोपी देवरिया ने उसे लकड़ी से मारपीट किया, जिसके कारण वह गिर गया। आरोपी देवरिया ने एक पैर पेट पर और एक पैर कंधे पर रख दिया और दबा दिया, जिसके कारण उसके कंधे

के पास की हड्डी टूट गई। उसकी पत्नी ने बीच-बचाव किया, तभी उसकी बहन आरोपी संतुराबाई लकड़ी उठाकर उसे मारने लगी। उसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गए। उसकी पत्नी ने उसे घर में ले जाकर पानी पिलाया तथा झगड़ा बंद होने के बाद वह कोटवार के पास रिपोर्ट लिखाने की बात कहने गया। रात होने के कारण कोटवार ने मना कर दिया। उसी दिन रात को वह थाना बैहर में आकर पुलिसवालों को घटना के बारे में रिपोर्ट लिखा दिया था। फिर वह घटना के दूसरे दिन फिर से रिपोर्ट लिखाने थाने गया था। उस समय आरोपीगण रिपोर्ट लिखाने थाने आए थे। पुलिस ने उसका शासकीय अस्पताल बैहर में आकर मुलाहिजा करवाया था। जब उसकी एक्सरे रिपोर्ट आई थी, उसके बाद पुलिस आई तो उसने पुलिस को घटनास्थल दिखा दिया था। उसी समय पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सुबह जब थाने में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करवाई तो दोनों पक्षों का मुलाहिजा करवाया गया था, जिस पर उनके खिलाफ भी केस बना था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह शराब पीकर इल्जाम नहीं लगाता तो झगड़ा नहीं होता। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके द्वारा लेख कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगति होना प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार साक्षी के कथन अखण्डित होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— शांतिबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। प्रार्थी चैनसिंह उसका पति है। घटना उसी वर्ष ग्राम बिरवा की है। आरोपी संतुरा और चैनसिंह का झगड़ा हो रहा था और उसकी लड़की कमलीबाई और देवरिया का झगड़ा होने लगा था। आरोपी देवरिया संतुरा का पति है। उनके घर पर आरोपीगण आए, जब वह अंदर थी, ज्यादा हल्ला होने पर आंगन में आकर देखी तो आरोपीगण उसके पति को लात से मारे तो चैनसिंह के कंधे की हड्डी टूट गई थी। आरोपीगण ने पटक-पटक कर उसके पति चैनसिंह को मारे थे, जिससे उसका सिर

फूट गया था तथा हड्डी टूट गई थी। वह चुपचाप दरवाजे में खड़ी रही क्योंकि भाई-बहन का झगड़ा था, इसलिए बीच-बचाव नहीं की।

8- उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के अंदर बच्चों के साथ थी तथा उसके सामने मारपीट नहीं हुई थी। साक्षी का प्रतिपरीक्षण में आगे स्वतः कथन है कि बहुत मोटी लकड़ी से मारपीट करते हुए उसने देखा था। साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस चक्षुदर्शी साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसके सामने मारपीट की घटना हुई है और उसके पति आहत चैनसिंह को आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने से उसे अस्थि भंग कारित की गई।

9- डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-04.12.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक सालिकराम क्रमांक-181, थाना बैहर द्वारा चैनसिंह वल्द नवलसिंह, निवासी बिरवा उम्र-35 वर्ष को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के शरीर पर दो चोटें पाई थी, जिसमें उसने चोट क्रमांक-1 में सिर के दाएं तरफ एक कटा-फटा घाव पाया था, जिसमें खून जमा था। चोट क्रमांक-2 में एक मुंदी हुई चोट जो डिफरमिटी लिये हुए दांये क्लेविकल पर पाई थी। साक्षी के मतानुसार उसने आहत को चोट क्रमांक-2 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी तथा चोट क्रमांक-1 साधारण प्रकृति की थी, जो किसी सख्त एवं बोथरे हथियार से पहुंचाई गई थी, जो उसके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। दिनांक-04.12.09 को चैनसिंह की एक्सरे प्लेट क्रमांक-321 का परीक्षण किया, जिसमें उसने आहत के दाएं क्लेविकल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया, जिसमें कोई कैलस नहीं पाया था। इस संबंध में उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 एवं एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस चिकित्सीय साक्षी ने घटना के समय आहत नरेन्द्र सिंह को साधारण चोट के साथ कंधे में अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

10— अन्य साक्षी लक्ष्मीनाराण (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह ग्राम बिरवा में कोटवारी करता हैं आरोपी देवरिया, कमली और संतुरा ग्राम बिरवा के ही निवासी हैं। प्रार्थी चैनसिंह भी उसके गांव का निवासी है। घटना एक वर्ष पहले की है, उस समय चैनसिंह के साथ मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में चैनसिंह ने उसे उसी दिनांक को 10:30 बजे बताया था कि आरोपी देवरिया और उसकी बहन ने उसके साथ मारपीट किया है और थाने चलने के लिए कहा था, तो उसने थाने जाने से मना कर दिया था और कहा था कि रात को थाना नहीं जाते, उसके बाद दूसरे दिन चैनसिंह के कहने पर थाना रिपोर्ट लिखाने गया था।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट की गई थी और पुलिस ने दोनों पक्षों का मुलाहिजा कराया था। साक्षी ने अपने कथन में घटना के पश्चात् के वृत्तांत को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में साक्ष्य में पेश कर अभियोजन का समर्थन किया है।

12— राजेन्द्र कुमार सिलेवार (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.12.09 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आज थाना बैहर से रोजनामचा सान्हा दिनांक-19.11.09 से 15.12.09 लेकर आया है। रोजनामचा सान्हा क्रमांक-132 दिनांक-04.12.09 में चैनसिंह के द्वारा थाना आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी देवरिया, संतुराबाई, कमलीबाई के द्वारा पुराने झगड़े पर से गाली-गुफ्तार कर लकड़ी एवं हाथ-मुक्के से मारपीट करने की रिपोर्ट लेख कराई थी। उक्त रोजनामचा में लेख किया था, जो प्रदर्श पी-9 है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-9 सी है, जो चालान के साथ संलग्न है। आहत चैनसिंह को मुलाहिजा हेतु मुलाहिजा फार्म भरकर शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था। मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी-5 के पृष्ठ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा भी फरियादी चैनसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसका उल्लेख रोजनामचा सान्हा क्रमांक-133 में दर्ज है। साक्षी ने मामलों में प्राथमिकी दर्ज किये जाने और आहत चैनसिंह की चोटों का मुलाहिजा कराए जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

14— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रवि मिश्रा (अ.सा.7) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.12.2009 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक-132 दिनांक-04.12.09 लेख कराया था, जिसके आधार पर आहत का मेडिकल कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आहत को फ़ेक्चर होना बताया गया था। उक्त रोजनामचा एवं चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक-68/09 धारा-325/24 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 लेख की थी। विवेचना के दौरान दिनांक-08.12.09 को चैनसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था तथा प्रार्थी चैनसिंह, साक्षी शांती व लक्ष्मीनारायण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही कमलीबाई से साक्षियों के समक्ष एक बांस का डण्डा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 लगायत 4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

15— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत शेष साक्षीगण श्रीराम (अ.सा.4) एवं अमरसिंह (अ.सा.5) ने पुलिस द्वारा की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त कार्यवाहियों के संबंध में अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

16— प्रकरण में अभियोजन की ओर से आहत चैनसिंह (अ.सा.2) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। उक्त साक्षी का समर्थन उसकी पत्नी शांतिबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में किया है। घटना के समय आहत चैनसिंह को आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने के कारण उसे कंधे के पास की हड्डी टूट जाने के तथ्य का चिकित्सीय साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में समर्थन करते हुए आहत चैनसिंह को घोर उपहति कारित होने की पुष्टि

की है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

17— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत चैनसिंह को मारपीट करते समय उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त मारपीट से निश्चित रूप से आहत को घोर उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया उक्त कृत्य स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

18— आरोपीगण ने मारपीट करने के समय आहत चैनसिंह को घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में घटना के समय आहत चैनसिंह को मारपीट करते हुए घोर उपहति कारित की है। इस कारण सभी आरोपीगण को आहत चैनसिंह को कारित हुई स्वेच्छया घोर उपहति हेतु जिम्मेदार ठहराया जाना न्यायसंगत होगा।

19— बचाव पक्ष की ओर से आहत चैनसिंह (अ.सा.2) के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय उसने आरोपीगण को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपीगण के द्वारा उक्त उपहति कारित की गई। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि आरोपीगण को घटना के समय गंभीर एवं अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ था, जिस कारण उन्होंने आहत चैनसिंह को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आरोपीगण को धारा-335 भा.द.वि. के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

20— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण के द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत चैनसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत चैनसिंह को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारकर उसके दाएं कंधे में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। फलस्वरूप

आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

21— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

22— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। उनके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2009 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

23— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। आरोपीगण मामले में वर्ष 2009 से विचारण का सामना कर रहे हैं, जिसमें वे नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का भी प्रमाण नहीं है। उक्त परिस्थिति को आरोपीगण के दण्डादेश में विचार लिया जा सकता है। अतएव मामले की परिस्थिति व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325/34 के अपराध के अंतर्गत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-, 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उन्हें एक-एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

24— आरोपीगण के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

25— प्रकरण में आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा निरंक है, जिसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)